राजीव कुमार
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०- 09/2016- 2065 /वि०स० 2/5/16

प्रिय ....

षोडश बिहार विधान सभा का द्वितीय सत्र दिनांक 25 फरवरी, 2016 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 04 अप्रील, 2016 को सभा की बैठक के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । द्वितीय सत्र में कुल तेईस (23) बैठकें संपन्न हुई ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा नये वर्ष एवं षोडश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के आरम्भ के अवसर पर माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए उल्लेख किया गया कि आप इस नये वर्ष में राज्य के विकास एवं समाज का भविष्य सँवारने में अपनी भूमिका सदन के माध्यम से सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकेंगे । षोडश बिहार विधान सभा के प्रथम सत्र के बाद दिनांक 07 एवं 08 फरवरी, 2016 को बिहार विधान सभा का स्थापना दिवस समारोह सह बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया । इसमें आप सबकी सक्रिय भागीदारी रही, जिसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ । उक्त अवसर पर आपकी लगातार उपस्थिति से कार्यक्रम काफी सफल हुआ तथा मीडिया में इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया गया । इसके लिए मैं मिडिया के सभी प्रतिनिधियों का भी आभार प्रकट करता हूँ । प्रजातंत्र में संसदीय प्रणाली ही सर्वोत्तम माना गया है । इस प्रणाली की आत्मा विधायिका होती है और विधायिका की आत्मा सार्थक विमर्श होता है । इसमें जनता विधान मंडल में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में सहभागिता निभाती है । उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अपने प्रदेश को विकासोन्मुखी बनाने में आज विधायी निकाय के समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी है, जिनका सामना करते हुए हमें अपनी प्रगति के मँजिल तक पहुँचना है । बिहार की जनता ने सदन के अन्दर सत्ता एवं विपक्ष दोनों को रचनात्मक भूमिका निभाने का दायित्व दिया है ।

राज्यपाल का अभिभाषण

वर्ष 2016 के प्रथम सत्र के आरम्भ पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अनुसरण में बिहार के महामहिम राज्यपाल, श्री राम नाथ कोविन्द द्वारा एक साथ समवेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों को दिनांक 25 फरवरी, 2016 को सम्बोधित किया गया । श्री अशोक कुमार सिंह, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा श्री मुद्रिका सिंह यादव, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा अनुमोदन किया गया । धन्यवाद ज्ञापन के प्रस्ताव पर दिनांक 26 एवं 27 फरवरी, 2016 को वाद-विवाद हुआ तथा प्रस्ताव ध्वनी मत से पारित किया गया ।

शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान

दिनांक 26 फरवरी, 2016 को षोडश बिहार विधान सभा के उप निर्वाचन, 2016 में निर्वाचन क्षेत्र संख्या 31 (हरलाखी) से निर्वाचित सदस्य श्री सुधांशु शेखर द्वारा शपथ ग्रहण किया गया तथा दिनांक 31 मार्च, 2016 को षोडश बिहार विधान सभा के निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र संख्या- 178 (मोकामा) से निर्वाचित सदस्य श्री अनन्त कुमार सिंह द्वारा शपथ ग्रहण किया गया ।

अनुमत विधेयक

प्रथम सत्र में बिहार विधान मंडल द्वारा पारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत 01 (एक) विधेयक के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया ।

वित्तीय कार्य

दिनांक 26 फरवरी, 2016 को वित्त मंत्री श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आय-व्ययक उपस्थापित किया गया ।

दिनांक 01 एवं 02 मार्च, 2016 को वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श एवं सरकार का उत्तर हुआ । वित्तीय वर्ष 2016-2017 में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर 12 दिनों तक वाद-विवाद चला । सभी प्राप्त कटौती प्रस्ताव को अमान्य कर दिया गया तथा अनुदानों की मांग ध्वनी मत से पारित हुआ एवं शेष अनुदानों की मांग गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत हुआ । तत्संबंधी दिनांक 29 मार्च, 2016 को बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016 पारित हुआ ।

दिनांक 26 फरवरी, 2016 को वित्त मंत्री श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया दिनांक 03 मार्च, 2016 को तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण कार्य विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात सभा द्वारा स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त बिहार विनियोग विधेयक, 2016 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-287(3) के तहत नियम समिति के प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राज्य लोक अभिलेख अधिनियम-2014 की धारा-17(2) के तहत् बिहार लोक अभिलेख नियमावली, 2015 की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
3. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा-89(4)(यथा बिहार प्रत्ययोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013 की धारा-35) के तहत् बिहार निम्न शक्ति शराब-आयात, निर्यात एवं बिक्री नियमावली, 2015 की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
4. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1991 की धारा-17(3) के तहत् बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का विशेष प्रतिवेदन, 2015 एवं उस पर सरकार का व्याख्यात्मक संलेख की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
5. उद्योग विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा-38(2) के तहत् बिहार राज्य वित्तीय निगम के वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 का 57वाँ, 58वाँ एवं 59वाँ वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
6. पंचायती राज विभाग के प्रभारी मंत्री, द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 146(2) के तहत् बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 एवं धारा 146(3) के तहत् बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 को भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक-09.09.2009 से प्रवृत किए जाने के कारणों से संबंधित विवरण की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
7. संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री, द्वारा बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 की धारा-8(3) के तहत् संसदीय कार्य विभाग का अधिसूचना संख्या-738, दिनांक-05.08.2008 की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
8. पंचायती राज विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 सह पठित बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 31(4), 59(4) तथा 86(4) के तहत् स्थानीय निकाय से संबंधित स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार का 31 मार्च, 2013 एवं 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
9. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री, द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 की धारा-13(2) के तहत् बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार नियमावली, 2016 की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

10. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा-11 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 के तृतीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
11. संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया कि ''बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-169, 173(3), 176(2), 176(6), 237(2), 237(3), 240(2), 240(3), 241(क)(1), 241(क)(2), 287(3) एवं 288 में संशोधन के प्रस्ताव से संबंधित षोडश बिहार विधान सभा की नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन दिनांक 02.03.2016 को सदन पटल पर रखा गया था । नियमावली के नियम-287(3) के तहत किसी भी माननीय सदस्य से संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । अतएव नियमावली के नियम-288 के परन्तुक के अन्तर्गत संशोधन के प्रस्ताव को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में अंगीकार करने का उपबंध किया जाय'' ।
12. पंचायती राज विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 146(2) के तहत बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवा शर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 / बिहार पंचायत (कार्यालय का निरीक्षण तथा कार्यकलापों की जांच, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन) नियमावली, 2014 / बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवा शर्त्त एवं कर्त्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 (अधिसूचना सं०-59, दिनांक 01.04.2015) / बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवा शर्त्त एवं कर्त्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 (अधिसूचना सं०-2516, दिनांक 05.05.2015) / बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
13. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1)''राजस्व प्रक्षेत्र'', (2)''सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र'' तथा (3)''राज्य का वित्त'', जिन्हें बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
14. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया कि ''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1)''राजस्व प्रक्षेत्र'', (2)''सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र'' तथा (3)''राज्य का वित्त'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो'' ।
15. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन, जिसे विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
16. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया कि ''बिहार सरकार का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उसपर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो'' ।
17. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के परिणाम बजट प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
18. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के जेण्डर बजट की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
19. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

20. प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति का भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(ए)(2) के तहत् सदन के पटल पर रखी गयी ।
21. संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-287(3) के तहत् नियम समिति का द्वितीय प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
22. उद्योग विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राज्य वित्तीय निगम का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर बिहार राज्य वित्तीय निगम का उत्तर प्रतिवेदन, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 37(7) के तहत् सदन के पटल पर रखी गयी ।
23. संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया कि ''यह सदन बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन 01 अप्रील, 2016 से 31 मार्च, 2018 तक के लिए बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(2), 240(2) एवं 241(क)(1) के अनुसार निर्वाचन पद्धति से न होकर मनोनयन पद्धति से हो एवं अध्यक्ष, बिहार विधान सभा उन समितियों के सदस्यों का मनोनयन करें तथा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 237(2), 240(2) एवं 241(क)(1) के आवश्यक अंश केवल इस हद तक शिथिल किये जाए '' ।
24. संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया कि ''यह सदन बिहार विधान परिषद् से सिफारिश करता है कि वह इस सदन के 01 अप्रील, 2016 से 31 मार्च, 2018 तक के लिए लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं प्राक्कलन समिति के सह सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद् से क्रमशः चार, तीन एवं छः सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हो तथा बिहार विधान परिषद् सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करें '' ।
25. संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया ''बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-4(i), 4(ii), 5(2), 6(1)(ii), 6(3)(क), 6(5), 7, 21(1), 23, 82(2), 83(2), 145, 167, 176(5), 220(1), 225(11), 231(7), 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 256, 258, 272(2), 292(क)(3), 292(क)(3)(ख) एवं 292(च)(iii)(ग) में संशोधन के प्रस्ताव से संबंधित षोडश बिहार विधान सभा की नियम समिति का द्वितीय प्रतिवेदन दिनांक 29.03.2016 को सदन पटल पर रखा गया था । नियमावली के नियम-287(3) के तहत किसी भी माननीय सदस्य से संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । अतएव नियमावली के नियम-288 के परन्तुक के अन्तर्गत संशोधन के प्रस्ताव को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में अंगीकार करने का उपबंध किया जाय'' ।
26. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-93(3) एवं 99 के तहत् अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-37, 38, दिनांक-17.02.2016/एस.ओ.-32, 33, दिनांक-08.02.2016/ एस.ओ.-22, 23, दिनांक-02.02.2016/एस.ओ.-8, 9, 10, 11, 12, 13, दिनांक-13.01.2016/एस.ओ. 03, दिनांक-15.01.2015/एस.ओ.-10, 12, 14, दिनांक-22.01.2015/एस.ओ.-21, दिनांक-09.03.2015/एस.ओ. 66, दिनांक-28.04.2015/ अधिसूचना संख्या-3605, दिनांक-10.07.2015/एस.ओ.-167, दिनांक-21.07.2015/ एस.ओ.-199, दिनांक-27.08.2015/एस.ओ.-211, दिनांक-08.09.2015/ अधिसूचना संख्या-5922, दिनांक-07.10.2015/ एस.ओ.-205, 207, 209, दिनांक-03.09.2015/एस.ओ.-209 का शुद्धि पत्र ज्ञापांक-5049, दिनांक-08.09.2015/एस.ओ.-189, दिनांक-03.08.2015/एस.ओ.-357, दिनांक-14.12.2015/ अधिसूचना संख्या-7022, दिनांक-18.12.2015/एस.ओ.-504, दिनांक-03.02.2014/ अधिसूचना संख्या-478, दिनांक-11.02.2013/617, दिनांक-25.02.2013/988, दिनांक-22.03.2013/ 1161, 1162, दिनांक-08.04.2013/ 1193, 1203, 1204, दिनांक-10.04.2013/1506, 1509, दिनांक-12.04.2012/5312, दिनांक-04.07.2012/ 7571, 7572, दिनांक-27.12.2012/ अधिसूचना संख्या-7571 का शुद्धि पत्र सं०-214, दिनांक-22.01.2013/

5350, दिनांक-05.07.2012/5410, दिनांक-11.07.2012/5441, दिनांक-12.07.2012/6083, दिनांक-29.08.2012/ 6528, 6529, दिनांक-03.10.2012/6598, दिनांक-08.10.2012/6888, दिनांक-30.10.2012/7275, दिनांक-06.12.2012 एवं 7276, दिनांक-06.12.2012 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

27. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 की धारा 20 के तहत् अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-26, 27 दिनांक 02.02.2016/एस.ओ.-74, दिनांक-15.05.2015 तथा एस.ओ.-219 एवं 220 दिनांक-27.11.2012 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

28. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा-18(2) के तहत् अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-28, 29, 30 एवं 31 दिनांक 02.02.2016 तथा एस.ओ.-217 दिनांक-21.11.2012 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

29. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा-9(4) के तहत् अधिसूचना संख्या- एस.ओ.-16, 17, 18, 19, 20 एवं 21 दिनांक-20.01.2016/एस.ओ.-169, दिनांक-21.07.2015/ एस.ओ.-76, दिनांक-15.05.2015/ एस.ओ.-64, दिनांक- 28.04.2015 तथा एस.ओ.-62, दिनांक-28.04.2015 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

30. पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39(2) के तहत् बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

31. कृषि विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की धारा 34(3) के अंतर्गत राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पुसा, समस्तीपुर का वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011 का महालेखाकार से प्राप्त पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उस पर विश्वविद्यालय स्तर से की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

32. श्रम संसाधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 30(2) के तहत् बिहार न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) नियमावली, 2016/ ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा-35(4) के तहत् बिहार ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (संशोधन) नियमावली, 2016/ बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (नियोजन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1966 की धारा-44(4) के तहत् बिहार बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (नियोजन एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2016/ बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 की धारा-40(5) के तहत् बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) नियमावली, 2016/ मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961 की धारा-40(3) के तहत् बिहार मोटर परिवहन कर्मचारी (संशोधन) नियमावली, 2016/ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-62(4) के तहत बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016/ मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा-26(7) के तहत् बिहार मजदूरी भुगतान (संशोधन) नियमावली, 2016 एवं कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-115(2) के तहत् बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2016 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

33. गृह विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3(4) के तहत् फारबिसगंज गोली कांड न्यायिक जाँच आयोग का प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन (ATR) की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

34. स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के तहत बनायी गयी बिहार जिला आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2010 की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

35. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन "स्थानीय निकाय" जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

36. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया कि ''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन "स्थानीय निकाय" को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।"

37. श्रम संसाधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग अधिनियम, 1996 की धारा-12(3) के तहत् बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुरःस्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार विनियोग विधेयक, 2016
2. बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016
3. बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2016
4. बिहार मूल्यवर्द्धित कर विधेयक, 2016
5. बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016
6. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विधेयक, 2016
7. बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2016

याचिका

इस सत्र में कुल 216 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 144 स्वीकृत हुए तथा 72 अस्वीकृत हुआ ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 680 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 550 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 130 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल 4341 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 3520 प्रश्नों की सूचनाएँ स्वीकृत किया गया । स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में 07 अल्पसूचित, 2815 तारांकित एवं 698 अतारांकित थे । इन स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में से 451 प्रश्न उत्तरित हुए तथा 937 प्रश्नोत्तर सभा पटल पर रखे गये । अपृष्ठ प्रश्नों की संख्या 79, उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या 20 एवं 2033 प्रश्न अनागत हुए ।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 430 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 37 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी तथा 360 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया एवं 33 ध्यानाकर्षण सूचनायें अमान्य हुए ।

शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा लोकहित के विभिन्न विषयों को उठाया गया ।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में कुल 277 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 265 सूचनाएँ स्वीकृत तथा 12 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत गैर सरकारी सूचनाओं में से 237 सूचनाएँ सदन में वापस लिये गये, 08 सूचनाएँ सदन द्वारा स्वीकृत हुये तथा 02 सदन द्वारा अस्वीकृत किये गये । 18 सूचनाएँ संबंधित माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण नहीं लिये जा सके ।

सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श

(1) दिनांक 01 अप्रील, 2016 को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-43 के तहत माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका से प्राप्त सूचना ''यह सभा राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को स्वच्छ जल आपूर्ति करने में सरकार की असफलता से उत्पन्न स्थिति'' पर विमर्श किया गया ।

(2) दिनांक 04 अप्रील, 2016 को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-43 के तहत माननीय सदस्य श्री विनोद प्रसाद यादव एवं अन्य तथा माननीय सदस्य श्री श्याम रजक एवं अन्य से प्राप्त सूचना ''यह सभा केन्द्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं में केन्द्रांश में कमी एवं राज्यांश में बढ़ोत्तरी किये जाने के कारण राज्य में उत्पन्न स्थिति'' पर विमर्श किया गया ।

रक्त दान शिविर

दिनांक 02 अप्रील, 2016 को बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यगण द्वारा राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर कैंसर जागरूकता से संबंधित संगोष्ठी में भाग लेकर राज्य के रूग्ण एवं जरूरतमंदों के लिए रक्त दान किया गया । रक्तदाता सदस्यों को डोनर कार्ड, डोनर प्रमाण-पत्र दिया गया तथा उनके रक्त का पाँच प्रमुख जाँच (एच०आई०भी०, एच०बी०एस-ए०जी०, एच०सी०भी०, एम०पी० एवं भी०डी०आर०एल०) कर प्रतिवेदन दिया गया ।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतृप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

(1) स्वर्गीय बृज किशोर सिंह, पूर्व स०वि०स०
(2) स्वर्गीय राम बहादुर राय, पूर्व स०वि०स०
(3) स्वर्गीय अयुब खान, पूर्व स०वि०स०
(4) स्वर्गीय मोरन सिंह पूरती, पूर्व स०वि०स०
(5) स्वर्गीय सुशीला हांसदा, पूर्व स०वि०स०
(6) स्वर्गीय प्रयाग चौधरी, पूर्व स०वि०स० एवं पूर्व राज्य मंत्री
(7) स्वर्गीय चण्डी प्रसाद, पूर्व स०वि०प०
(8) स्वर्गीय फूल चन्द राम, पूर्व स०वि०स०
(9) स्वर्गीय भवेश चन्द्र प्रसाद, पूर्व स०वि०स०
(10) स्वर्गीय केदार पासवान, पूर्व स०वि०स०
(11) स्वर्गीय रामस्वरूप प्रसाद, पूर्व स०वि०स० एवं पूर्व सांसद
(12) स्वर्गीय कृष्णनन्दन प्रसाद सिंह, पूर्व स०वि०स०
(13) स्वर्गीय लाल मुनि चौबे, पूर्व स०वि०स० एवं पूर्व सांसद तथा मंत्री

दिनांक 04 अप्रील, 2016 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी, जिसके उपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

सधन्यवाद

सेवा में,

....

....

....

आपका विश्वासी

28/4/16

(राजीव कुमार)
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

28.04.16